

**रांची समाहरणालय, रांची**  
**(विकास शाखा)**  
**कार्यालय आदेश**  
**(विकास निधि)**

माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियन्ता जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र0वि0पदा0/अं0पदा0/ जिला अभियन्ता, जिला परिषद, रांची /उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	वर्तमान में विमुक्त राशि 50 प्रतिशत
1.	राधिका मैदान सिल्ली में मंच का निर्माण	1.50	1.50	0.75
2.	शौण्डिक जागरण मंच, सिल्ली मुरी के लिए धर्मशाला का निर्माण	4.00	4.00	2.00
3.	रांची जिला शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं०-25 के निजाम नगर, लेक रोड स्थित हलालखोर पंचायत में सामुदायिक भवन का निर्माण	3.00	3.00	1.50
4.	रांची वार्ड नं०-7 के गाड़ी होटवार में सामुदायिक भवन निर्माण	3.50	3.50	1.75
5.	रांची वार्ड नं०-10 के कोकर गीता साँ मिल के पास सामुदायिक भवन निर्माण	6.50	6.50	3.25
6.	पिठौरिया मगर बाजार में दुर्गा मंदिर के पास मंच का निर्माण	2.00	2.00	1.00
7.	हेठ कोनकी में किसान भवन का निर्माण	3.50	3.50	1.75
8.	ओरमांजी के अमर शहीद शेख भिखरी को जन्मस्थली ग्राम-खुदिया में मदरसा भवन निर्माण	2.50	2.50	1.25
9.	रांची वार्ड नं०-16 संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय बहुबाजार में शौचालय का निर्माण	1.50	1.50	0.75
10.	वार्ड नं०-3 में मोरहाबादी स्थित दादा दादी पार्क की सुन्दरीकरण हेतु	5.00	5.00	2.50
11.	वार्ड नं०-36 के रातु रोड, दुर्गा मंदिर के समीप प्याउ	1.00	1.00	0.50

निर्माण			
12. मेन रोड हनुमान मंदिर के बगल में खाली पड़े जमीन पर प्याउ कुलिंडा मशीन के साथ	1.00	1.00	0.50
13. अंजुमन इस्लामिया हॉस्पिटल कोनका रोड में प्याउ	1.25	1.25	0.625
14. सिरगटोली स्थित सरना स्थल के पेड़ का 8 फीट चबूतरा 200 फीट नाली एवं मुख्य द्वार के बगल (बाहरी ओर) प्याउ	2.208	2.208	1.104
15. वार्ड नं०-13 के संत जोसेफ बालिका मध्य एवं उच्च विद्यालय सामलौग, नामकोम	1.00	1.00	0.50
16. वार्ड नं०-11 के मौलाना आजाद कॉलोनी लोवाडीह स्थित मदरसा इस्लामिया नुरिया के प्रथम तल्ले पर हॉल निर्माण	4.00	4.00	2.00
17. वार्ड नं०-19 में घडरी सरना समिति के अखड़ा स्थल में सामुदायिक भवन	3.50	3.50	1.75
18. वार्ड नं०-46 के डोरण्डा बाजार कालीपूजा समिति के पूजा परिसर के पास सामुदायिक भवन के निर्माण हेतु	4.00	4.00	2.00

कुल:-

25.479

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-50.958 (कुल पचास लाख पन्चानब्बे हजार आठ सौ रुपये मात्र)  
विमुक्त राशि:-25.479(कुल पचीस लाख सैंतालीस हजार नौ सौ रुपये मात्र)

नोट:- 1- योजनाओ का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर  
पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

*Eet*

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

ज्ञापक 238 / राँची दिनांक 13.3.10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद / जिला अभियन्ता, जिला परिषद,  
राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, राँची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

*12/3*  
उप विकास आयुक्त,  
राँची।

**रांची समाहरणालय, रांची**  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
(विकास निधि)

माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद/विधायक/पार्षद द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/पार्षद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी./अंचलाधिकारी कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१, रांची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१ रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्र०वि०पदा०/अं०पदा०/ कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१, रांची /उप विकास आयुक्त, रांची / रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्राशसनिक स्वीकृत राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि 50 प्रतिशत
1.	रांची जिला शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं०-38 के दाउद नगर डिबडीह में सामुदायिक भवन का निर्माण	3.50	3.50	1.75
2.	रांची जिला शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं०-17 के कर्बला टैंक रोड रांची में सामुदायिक भवन का निर्माण	3.50	3.50	1.75
3.	रांची जिला शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड 30 के कुम्हार टोली संग्राम चौक से संस्कृत कॉलेज रोड तक 196 X 15 फीट पी० सी० सी० पथ निर्माण	1.20	1.20	0.60
4.	रांची जिला शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड 24 के अयोध्यापुरी तालाब रोड नं०-2 में 1400 फीट पत्थर	3.50	3.50	1.75

	सोलिंग कार्य के उपर पी0सी0सी. कार्य हेतु			
5.	रॉंची जिला शहरी क्षेत्रान्तर्गत वार्ड नं0-37 में कार्तिक उरॉंव चौक से एच0 आई0 256 क्वार्टर तक 600 फीट नाली निर्माण	2.50	2.50	1.25
6.	रॉंची जिला शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वार्ड नं0-2 के सरना टोली हातमा का नृत्य के बाद्य यंत्र एवं श्रृंगार की वस्तु हेतु	0.49838	0.49838	0.24919

कुल:-

7.34919

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-14.69838(कुल चौदह लाख उन्हत्तर हजार आठ सौ अड़तीस रुपये मात्र )

विमुक्त राशि:-7.34919(कुल सात लाख चौतीस हजार नौ सौ उन्नीस रुपये मात्र)

नोट:- 1- योजनाओ का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर  
पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

*eat*

उप विकास आयुक्त,  
रॉंची।

ज्ञापांक 239 / रॉंची दिनांक: 13.3.2010

प्रतिलिपि:- माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद / कार्यपालक

अभियन्ता, एन0 आर0 ई0 पी0-I रॉंची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, रॉंची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

*eat*  
उप विकास आयुक्त,  
रॉंची।

क्र.सं.	विवरण	प्रमाण	दिनांक
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश  
(विकास निधि)**

माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद/विधायक/प्रभु द्वारा अनुशसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद/विधायक/प्रभु की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उप विकास आयुक्त/उपायुक्त, राँची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो, योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का निर्माण कार्य प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचलाधिकारी जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची की देख रेख में कराना है एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण कराना है। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियन्ता जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि प्रोविडेंट/अनुपदा/ जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची / उप विकास आयुक्त, राँची / राँची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्रशासनिक स्वीकृत राशि (लाख में)	वर्तमान में विमुक्त राशि 50 प्रतिशत
1.	पंजाबी हिन्दू बिरादरी द्वारा संचालित लाला लाजपत राय मिडल स्कूल के नये भवन का निर्माण	15.00	15.00	7.50

कुल—

7.50

प्रशासनिक स्वीकृत राशि—7.50 (कुल सात लाख पचास हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि—7.50 (कुल सात लाख पचास हजार रुपये मात्र)

नोट— 1- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर पूर्णता—सह—उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

✍

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

ज्ञापक 330 (iv) / राँची दिनांक: 30/03/10

प्रतिलिपि— माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद / जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि—नाजीर, विकास शाखा, राँची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।


✍  
उप विकास आयुक्त,  
राँची।  
29/3



रॉची समाहरणालय, रॉची ।  
(विकास शाखा)  
कार्यालय आदेश

माननीय सांसद श्री सुबोधकांत सहाय द्वारा अनुशंसित क्षेत्रीय विकास निधि से रॉची नगर निगम रॉची क्षेत्र अंतर्गत वार्डों के प्रमुख स्थानों पर व्यवस्थित रूप से नागरिकों को अतिरिक्त पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु जनहित में सिन्टैक्स टंकी के क्रय के लिए रॉची नगर निगम रॉची को रूपये 5,00,000.00 (पॉच लाख रूपये) की अनुशंसा की गई है। जिसकी स्वीकृति उपायुक्त रॉची द्वारा प्रदान की गई है। सिन्टैक्स टंकी का क्रय सरकारी नियमानुसार किया जाय तथा क्रय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र समर्पित किया जाय।

उपायुक्त के आदेशानुसार


  
उप विकास आयुक्त,  
रॉची।

ज्ञापांक: 398(11) / वि०, रॉची, दिनांक: 16.4.10

प्रतिलिपि:—माननीय सांसद श्री सुबोधकांत सहाय को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, रॉची नगर निगम, रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:—नाजीर, जिला विकास शाखा, रॉची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

  
उप विकास आयुक्त,  
रॉची।



**रांची समाहरणालय,रांची**  
**(विकास शाखा)**  
**कार्यालय आदेश**

माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद द्वारा अनुशंसित निम्न योजना जिसकी तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१, रांची द्वारा प्रदान की गई है। माननीय सांसद की अनुशंसा एवं योजना के तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इस योजना के लिए उपायुक्त,रांची द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के साथ प्रदान की गई है।

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण कार्य के लिए राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त होनी चाहिए।
2. योजना के लिए यदि ऐयती भूमि उपलब्ध हो तो,योजना के लिए वैधानिक हस्तांतरण सरकार के पक्ष में भूमि की होनी चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित होनी चाहिए एवं निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना का कार्यान्वयन कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१, रांची करेंगे एवं कार्य को तीन माह के अंदर पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कार्य की गुणवत्ता स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप होनी चाहिए।
5. योजना के निर्माण कार्य में तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्ग दर्शन सहायक अभियन्ता कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१ रांची का सहयोग एवं अपने समुचित तकनीकी निर्देश में कार्य को पूर्ण करावेंगे।
6. स्वीकृत राशि कार्यपालक अभियन्ता, एन० आर० ई० पी०-१, रांची /उप विकास आयुक्त,रांची से प्राप्त करेंगे एवं प्रत्येक माह की दूसरी तारीख को योजना के कार्य की प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को नियमित रूप से भेजेंगे।
7. अगर यह योजना किसी अन्य मद से ली गई हो तो इस योजना को स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

क्रम सं०	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि (लाख में)	प्राशसनिक स्वीकृत राशि	वर्तमान में विमुक्त राशि 50 प्रतिशत
1.	वार्ड न०-32 के इन्द्रपुरी रोड न०-9 में पोस्ट ऑफिस के सामने शिव मंदिर के पास प्याउ निर्माण	1.00	1.00	0.50
2.	श्रद्धानन्द रोड स्थित कांग्रेस भवन के सामने कुलिंग मशीन के साथ प्याउ निर्माण	1.25	1.25	0.625
3.	वार्ड न०-31 के रातु रोड गंगा नगर में जनता बॉडी बिल्डिंग से लेकर संजय पांडे के घर के आगे तक स्लैब सहित नाली का नि०	2.00	2.00	1.00
4.	चित्रगुप्त नगर बड़गाई में श्री एन०एन० वर्मा के आवास से श्रीमती पूनम सिन्हा के आवास तक 300 फीट पी०सी०सी० सडक का निर्माण	1.50	1.50	0.75
5.	वार्ड न०-5 बरियातु डी.०ए०भी० स्कूल के सामने मंदिर के बगल में प्याउ निर्माण	1.00	1.00	0.50
6.	वार्ड न०-22 जिला स्कूल परिसर में प्याउ नि०	1.00	1.00	0.50
7.	वार्ड न०-11 बहु बाजार चौक के पास प्याउ नि०	1.00	1.00	0.50
8.	वार्ड न०-42 दुर्गा मंदिर शालीमार बाजार धुर्वा के पास प्याउ नि०	1.00	1.00	0.50
9.	वार्ड न०-39 जे०पी० मार्केट धुर्वा में दुर्गा मंदिर के पास प्याउ नि०	1.00	1.00	0.50
10.	पंचायत वाकु, ग्राम बीकु में विदेशी पातर के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20

11.	ग्राम पंचायत चौकाहातु, पातर टोला में गोरंग पातर मुण्डा के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
12.	ग्राम पंचायत बरिन्दा, प्रकाश कर्मकार के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
13.	पंचायत सामडीह, ग्राम-बोनाडीह, पातर टोला में चन्द्र मोहन पातर के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
14.	वार्ड नं०-38 एस०पी० कॉलोनी स्थित सरना आखड़ा में चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
15.	वार्ड नं०-39 आदर्श नगर धासी मोहल्ला राम प्रसाद राम के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
16.	वार्ड नं०-44 पैथर क्लब प्रेम सिंह के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
17.	वार्ड नं०-44 सी०आर०पी०एफ० कैम्प के पीछे पहाड़ी के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
18.	वार्ड नं०-50 खनिज नगर, महेन्द्र लोहरा के घर के पास स्थित चौक के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
19.	प्रखण्ड परिषद भवन, रातू के बगल में चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
20.	वार्ड नं०-2 पुरानी मस्जिद नीचे भीट्टा कॉके रोड में चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
21.	वार्ड नं०-31 देवी मंडप रोड, न्यू मधुकम रोड नं०-5 सी. के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
22.	वार्ड नं०-8 बैंक कॉलोनी में डॉ० एस०एन० प्रसाद के घर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
23.	वार्ड नं०-37 दीपा टोली पंचम नगर कबाड़ी गली में चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
24.	जगदम्बा सहाय लेन दिपीन के घर के सामने चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
25.	काली बाबू स्ट्रीट में कुओं के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20
26.	कचहरी सब्जी मार्केट के बीच मंदिर के पास चापाकल नि०	0.40	0.40	0.20

कुल:-

17.55

8.775

प्रशासनिक स्वीकृत राशि:-17.55(कुल सत्तरह लाख पचपन हजार रुपये मात्र)

विमुक्त राशि:-8.775(कुल आठ लाख सत्तर हजार पाँच सौ रुपये मात्र)

नोट:- 1- योजनाओं का कार्य तीन माह में पूर्ण कराकर

पूर्णता-सह-उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे।

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

ज्ञापांक-

49/110

राँची

दिनांक-

12/05/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री सुबोधकांत सहाय, सांसद / कार्यपालक अभियन्ता, एन०

आर० ई० पी०-I राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:-नाजीर, विकास शाखा, राँची को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

14

## राँची समाहरणालय राँची (विकास शाखा)

### कार्यालय आदेश

माननीय श्री- सुदर्शन भगत, सांसद (लोक सभा) द्वारा अनुशासित निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रदान की गयी है। माननीय सांसद की अनुशंसा एवं योजना के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इन योजनाओं के लिए उपायुक्त, राँची द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-


1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तान्तरण सरकार के पक्ष में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित एवं वन सीमा से बाहर होनी चाहिए। निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना के कार्यान्वयन जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची की पर्यवेक्षण में करायेगे। निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्रियों की गुणवत्ता का ध्यान में रखते हुए प्राक्कलन के अनुरूप 03(तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन, सहायक अभियन्ता, राँची करेंगे एवं जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगे।
6. स्वीकृत योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृत/ ली गई हो तो इस योजना को अविलम्ब स्थगित करत हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।
7. स्वीकृत योजना की अग्रिम राशि का चेक विकास शाखा के नाजिर से प्राप्त कर लेंगे।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रा० रा०	प्रशा० स्वी० राशि	अग्रिम की राशि 50%	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	डुमरटोली से बोकरोन्दा रोड में बगीचा के पास गार्डवाल।	9.00	9.00	4.50	
2	बोकरोन्दा मण्डप से लालपुर मोड़ तक ग्रेड-1 पथ निर्माण।	9.00	9.00	4.50	
3	गुदगुद सेलोहरा झुग रोड में डाईन टंगरा के पास गार्डवाल निर्माण।	5.00	5.00	2.50	
4	महुआ टोली से पाहन टोली रोड में दोन किनारे गार्डवाल निर्माण।	7.00	7.00	3.50	
कुल योग :-		30.00	30.00	15.00	

कुल विमुक्ति राशि पन्द्रह लाख रुपये मात्र।


उपायुक्त, राँची के आदेश से

  
 उप विकास आयुक्त,  
 राँची।

ज्ञापक..... 84 @ ..... दिनांक..... 10/02/10

प्रतिलिपि:- माननीय श्री सुदर्शन भगत सांसद (लोक सभा) को सूचनार्थ प्रेषित/ जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व माननीय जिला मण्डप महोदय को सूचित।

प्रतिलिपि:- नाजिर, विकास शाखा राँची को विमुक्ति राशि का चेक तैयार कर उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

  
 उप विकास आयुक्त,  
 राँची।







# राँची समाहरणालय राँची (विकास शाखा)

कार्यालय आदेश

माननीय \* श्री- सुदर्शन भगत, सांसद (लोक सभा) द्वारा अनुशासित-निम्न योजनाओं के प्राक्कलन पर जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची द्वारा तकनीकी स्वीकृति के प्रदान की गयी है। माननीय सांसद की अनुशांसा एवं योजना के प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में इन योजनाओं के लिए उपायुक्त, राँची द्वारा निम्नांकित शर्तों के साथ प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है:-

1. योजना के लिए यदि सरकारी भूमि उपलब्ध हो तो निर्माण से पूर्व संबंधित विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।
2. योजना के लिए यदि रैयती भूमि उपलब्ध हो तो योजना के लिए भूमि का वैधानिक हस्तान्तरण सरकार के पक्ष में होना चाहिए।
3. योजना स्थल विवाद रहित एवं वन सीमा से बाहर होनी चाहिए। निर्माण कार्य किसी धार्मिक प्रायोजन के लिए नहीं होनी चाहिए।
4. योजना के कार्यान्वयन जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची की पर्यवेक्षण में करायेगे। निर्माण कार्य में कार्य एवं सामग्रियों की गुणवत्ता को ध्यान में कार्य में रखते हुए प्राक्कलन के अनुरूप 03(तीन) माह के अन्दर पूर्ण किया जाय।
5. योजना के निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण/मार्गदर्शन, सहायक अभियन्ता, राँची करेगे एवं जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची समुचित दिशा निर्देश उपलब्ध करायेगे।
6. स्वीकृत योजना यदि किसी अन्य मद से स्वीकृत/ ली गई हो तो इस योजना को अविलम्ब स्थगित करते हुए अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेगे।
7. स्वीकृत योजना की अग्रिम राशि का चेक विकास शाखा के नाजीर से प्राप्त कर लेंगे।

(राशि लाख में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्रा० रा०	प्रशा० स्वी० राशि	अग्रिम की राशि 50%	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बिजुपाड़ा में किसान भवन का निर्माण	15.00	15.00	7.50	
	कुल योग :-	15.00	15.00	7.50	

कुल विमुक्ति राशि सात लाख पचास हजार रुपये मात्र।

उपायुक्त, राँची के आदेश से

*Auf...*  
उप विकास आयुक्त,  
राँची।

ज्ञापांक.....381...दिनांक...12/04/10...

प्रतिलिपि:- माननीय श्री सुदर्शन भगत, सांसद (लोक सभा) को सूचनार्थ प्रेषित/ जिला अभियन्ता, जिला परिषद, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर, विकास शाखा राँची को विमुक्त राशि का चेक तैयार कर उपस्थापित करने हेतु प्रेषित।

*Auf...*  
उप विकास आयुक्त,  
राँची।



राँची समाहरणालय राँची  
(विकास शाखा)

15

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

पत्रांक... 383 00.../वि0

दिनांक... 12/04/10...../

सेवा में,

उपायुक्त,  
गुमला।

विषय:- माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, सांसद कोष से वर्ष 2009-10 में राशि का जिलावार आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, के द्वारा अपने सांसद कोष से वर्ष 2009-10 के लिए जिलावार आवंटन की अनुशंसा की गई है जो निम्न प्रकार है

क्र०सं०	जिला का नाम	अनुशंसित राशि लाख में	विमुक्त राशि
1	गुमला	10.00	10.00

कुल दस लाख रुपये मात्र

10.00

तदनुसार उपायुक्त राँची के आदेशानुसार सांसद मद से राशि आप के जिला को वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्ध कराई जा रही है स्वीकृत योजना का व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2 री तारीख तक भेजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिनका हस्ताक्षर अभिप्रमणित हो, को उक्त राशि का चेक प्राप्त करने हेतु विकास शाखा राँची में प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:-

अनुशंसा पत्र की छाया

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

पत्रांक... 383 00.../वि0 दिनांक... 12/04/10...../

प्रतिलिपि:- माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, को सूचनार्थ प्रेषित।

नाजीर, जिला विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,  
राँची।



राँची समाहरणालय राँची  
(विकास शाखा)

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

पत्रांक..... 420 911 / वि०

दिनांक..... 21/4/10 /

सेवा में,

उपायुक्त,  
लोहरदगा।

विषय:- माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, सांसद कोष से वर्ष 2009-10 में राशि का जिलावार आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, के द्वारा अपने सांसद कोष से वर्ष 2009-10 के लिए जिलावार आवंटन की अनुशंसा की गई है जो निम्न प्रकार है

क्र०सं०	जिला का नाम	अनुशंसित राशि लाख में	विमुक्त राशि
1	लोहरदगा	5.00	5.00

कुल पाँच लाख रुपये मात्र

5.00

तदनुसार उपायुक्त राँची के आदेशानुसार सांसद मद से राशि आप के जिला को वर्ष 2009-10 के लिए उपलब्ध कराई जा रही है स्वीकृत योजना का व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 2 री तारीख तक भोजना सुनिश्चित करेंगे।

अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी जिनका हस्ताक्षर अभिप्रमणित हो, को उक्त राशि का चेक प्राप्त करने हेतु विकास शाखा राँची में प्रतिनियुक्त करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक:-

अनुशंसा पत्र की छाया

SLP  
21/4/10  
उप समाहर्ता  
विकास शाखा  
राँची

निदेशक

राँची

विश्वासभाजन

21/4/10

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

पत्रांक..... 420 911 / वि० दिनांक..... 21/4/10 /

प्रतिलिपि:- माननीय सांसद श्री सुदर्शन भगत, को सूचनार्थ प्रेषित।

नाजीर, जिला विकास शाखा को चेक निर्गत करने हेतु प्रेषित।

उप समाहर्ता  
विकास शाखा  
राँची

निदेशक

राँची

उप विकास आयुक्त,  
राँची।

